कार्रवाई एक्शन मोड में नगर निगम, दो दिन में तीन अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ थाने में दर्ज कराया मामला

एफआईआर के बाद अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप

नवभारत, कटनी। शहर में बगैर अनुमति प्लाटिंग करने और अवैध कॉलोनी बनाने पर नगर निगम अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। नगर निगम में दो दिन में अवैध कॉलोनी बनाने वाले तीन कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी बनाने वालों में हड़कंप मच गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में बिना अनुमति प्लॉटिंग करने, अवैध कॉलोनी विकसित कर भूखंडों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 43 में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर भूखंड बेचने, कॉलोनी विकसित करने के मामले में कुठला निवासी कॉलोनाइजर शुभम साहू पिता लखन साहू के खिलाफ माधव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में बताया

गया है कि महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 43 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वैदिक हाईट के सामने पटवारी हल्का नंबर 38 मौजा ग्राम अमकुही राजस्व निरीक्षक मंडल मुड़वारा स्थित भूमि के खसरा नंबर की भूमि पर बगैर अनुमति के प्लॉटिंग की गई। नगर निगम की शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमानुसार कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त किए बिना, कॉलोनी का संपूर्ण विकास किए बिना ही भूखंडों का विक्रय किया गया। विकास और निर्माण संबंधी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त नहीं किए जाने से नगर निगम एवं शासन को लाखों रूपए की राजस्व की क्षति होने की बात भी शिकायत में कही गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा वीर सावरकर वार्ड में करीब 1.50 एकड़ भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के सड़क निर्माण, डस्ट डालकर भूखंडों का विभाजन और कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायत पर जांच की गई। जांच में भूमि स्वामी अजय कुशवाहा, अनिल कुशवाहा द्वारा लगभग 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कर भूखंडों का विभाजन और विक्रय किए जाने की स्थिति सामने आई। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम और मध्य प्रदेश कॉलोनी विकास नियमों के प्रावधानों के विपरीत पाए जाने कोतवाली थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआ दर्ज कर ली है। इसी तरह राजीव गांधी वार्ड अंतर्गत 0.456 हेक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के भूखंडों का विभाजन कर कॉलोनी विकसित करने का मामला सामने आया। निगम की जांच में भूखंडों के विक्रय के साथ-साथ बिना अनुमति सड़क के निर्माण कराया जाना पाया गया। इस मामले में नगर निगम की शिकायत पर हाउसिंग बोर्ड निवासी सुधीर कुमार जैन के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस द्वारा सभी प्रकरणों की विवेचना शुरू कर दी गई है।

नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने कहा है कि नगर निगम सीमा में बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित करने, अवैध प्लाटिंग करने, भूखंडों का विक्रय करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, आवश्यक अनुमतियां, रेरा पंजीकरण अवश्य जांचें। उन्होने कहा है कि अवैध कॉलोनियों के झांसे में आने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि जानकारी नगर निगम को दें।

जबलपुर-भोपाल मार्ग पर भूस्खलन से आवाजाही प्रभावित

नवभारत,नरसिंहपुर। जबलपुर-भोपाल रोड पर नरसिंहपुर के बरघाटी के जंगल में घाटी की पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक भरभराकर सड़क पर आ गिरा। भूस्खलन के कारण भोपाल-जबलपुर मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। हालांकि राहत की बात रही कि घटना के समय कोई वाहन मलबे की चपेट में नहीं आया। इस घटना के बाद जबलपुर से भोपाल जा रहे लोग आगे नहीं जा पाए है। भूस्खलन के बाद सड़क पर बड़ी मात्रा में मलबा फैल गया, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। फिलहाल यातायात को सिंगल लाइन के वैकल्पिक रास्ते से संचालित किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सुरक्षा के लिए घटनास्थल पर बैरिकेडिंग कर दी। कर्मचारियों के अनुसार, सड़क पर गिरे मलबे को हटाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके बाद मुख्य मार्ग पर यातायात सामान्य होने की उम्मीद है।

ताज जादूगर महोत्सव में सम्मानित हुए एसके निगम

नवभारत, जबलपुर। मथुरा में गुरुवार को आयोजित ताज जादूगर महोत्सव में ख्याति प्राप्त जादूगर एस.के. निगम को उनके 60 वर्षों के जादू कला के योगदान, सामाजिक कार्यों, आध्यात्मिक संलिप्तता और सांस्कृतिक आयोजनों में अविस्मरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। देश की प्रतिष्ठित जादू संस्था ताज मैजिक सोसाइटी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में करीब 200 जादूगरों की उपस्थिति में उन्हें शॉल, श्रीफल, अवार्ड, माला और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस महोत्सव में देश के चुने हुए जादूगरों ने अपनी जादू कला का प्रदर्शन किया और अवसर पर जादूगर एस. के. निगम का जादू कला पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया।जादूगर एस.के. निगम को यह सम्मान ताज मैजिक फेस्टिवल द्वारा जादू कला के क्षेत्र में उनके छह दशक के योगदान के साथ सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया, जिस पर गुंजन कला सदन के विजय जायसवाल, राजेश पाठक, सैम सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्यों तथा जादू अकादमी के सदस्यों ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक एवं मायावी दुनिया के संस्थापक जादूगर प्रहलाद राय के मार्गदर्शन में आयोजित महोत्सव में दिल्ली के जादूगर राजकुमार, अजमेर के जादूगर, बीकानेर के जादूगर मनोज कौशिक, ख्याति प्राप्त जादूगर ओ.पी. शर्मा, ख्याति प्राप्त जादूगर अजूबा, ताज मैजिक सोसाइटी के पदाधिकारी अखिलेश जायसवाल, जितेंद्र बघेल तथा उड़ीसा के जादूगर पई और संजीव सहित अनेक जादूगर उपस्थित रहे।

एनएच-45 पर अज्ञात वाहन ने 10 मवेशियों को रौंदा

नवभारत/ नरसिंहपुर/ तेंदूखेड़ा। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 जबलपुर भोपाल सड़क मार्ग प्रतिदिन मवेशियों के रक्त से लाल हो रही है।आये दिन मवेशी असमय काल के गाल में समा रहें हैं।गत दिवस जबलपुर भोपाल सड़क मार्ग पर तेंदूखेड़ा से आगे तरफ ढिलवार के समीप अज्ञात बाहन ने 10 गौ वंश को रौंद डाला। और पांच मवेशी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि नगर परिषद अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और उपचार की व्यवस्था कराई गई स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। धीरे धीरे खबर लगते ही गौ संरक्षण सुरक्षा अभियान और विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में पहुंचे जिन्होंने वीभत्स रूप लेकर द्रवित होते दिखे और एन एच पर कुछ समय के लिए बैठ गये और तत्काल प्रभाव से व्यवस्था सुधार की बात रखी। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद मानें। गौरतलब रहे कि कुछ ही समय पूर्व इनके द्वारा सुरक्षा को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था। सभी कालकल्वित मवेशियों को ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया।इसी बीच पशु चिकित्सा बाहन सेवा भी मौके पर पहुंची जिसने गंभीर रूप से घायल मवेशियों का उपचार किया। चूंकि निराश्रित मवेशियों का इस तरह से काल कल्वित होना कोई नई बात नहीं है।आये दिन इस तरह की घटनाएं दुर्घटनायें घटित हो रही है।इस विषय को लेकर जवाबदार पक्ष हमेशा अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं।

बिजली पोलों की केबल खराब, धान की रोपाई प्रभावित होने का संकट

जर्जर बिजली केबल से किसान हो रहे परेशान

नवभारत, बाकल। जिले की ग्राम पंचायत खम्हरिया (बाकल) में खेतों तक बिजली पहुंचाने वाली जर्जर और क्षतिग्रस्त विद्युत केबल किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। किसानों का कहना है कि करीब 12 से 13 पोलों की केबल लंबे समय से खराब पड़ी है, जिसके कारण खेतों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। वर्तमान में धान की रोपाई का समय होने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। किसानों के अनुसार पनहा तालाब के किनारे स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर से खेतों तक जाने वाली विद्युत लाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण सिंचाई के लिए लगे पंप नहीं चल पा रहे हैं। इससे धान की रोपाई और अन्य कृषि कार्य प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है। वहीं जर्जर एवं खुले तारों के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। समस्या को लेकर किसानों ने 28 जुलाई 2026 को कलेक्टर कटनी सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर जर्जर केबल बदलवाने और विद्युत आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की थी। आवेदन में किसानों ने बताया कि विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय लाइनमैन को कई बार मौखिक रूप से भी समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। किसानों का आरोप है कि समस्या को लेकर ष्टरू हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी मौके पर समस्या का समाधान किए बिना शिकायतों का निराकरण दर्ज कर दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ शिकायतों को उनकी संतुष्टि जाने बिना ही बंद या फोर्स क्लोज किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि खेतों में खराब केबल अभी तक नहीं बदली गई और विद्युत आपूर्ति की समस्या बनी हुई है तो शिकायत का निराकरण किस आधार पर किया गया। पीड़ित उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग के शिकायत सहायता नंबर 1912 पर भी शिकायतें दर्ज कराईं। किसानों का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद कई मामलों में उपभोक्ता की संतुष्टि जाने बिना ही शिकायत बंद कर दी जाती है। इससे किसानों में विभागीय शिकायत व्यवस्था को लेकर नाराजगी है।

इस संबंध में रामकुमार सेन, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत उपकेंद्र बाकल ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के ठेकेदार को खराब केबल बदलने के लिए कहा गया है। जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं **दुर्गा प्रसाद जरोलिया** पिता शिव प्रसाद जरोलिया निवासी 2286, राईट टाउन, जबलपुर (म.प्र) हूं। यह है कि मैंने ने अपनी बहन कृष्णा पाराशर पिता शिव प्रसाद निवासी 2286, राईट टाउन, जबलपुर के नाम आर.टी.ओ. कार्यालय जबलपुर में पंजीकृत वाहन **MP20CB-4706** जो मेरी बहन के नाम पर है जिनका स्वर्गवास हो गया है ट्रांसफर हेतु आर.टी.ओ. में आवेदन किया है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उक्त अंतरण पर कोई भी आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के अंदर आर.टी.ओ.जबलपुर महोदय को सूचित करें।

दिनांक-14/08/2026

भवदीय
दुर्गा प्रसाद जरोलिया
जबलपुर (म.प्र.)

न्यायालय तहसीलदार रांझी जबलपुर
रा.प्र.क./ 753/ अ-6/ 2026-27

आम इश्तहार

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक **संतोष पिता स्व. शिवाजी राव** व अन्य निवासी-120/942 बड़ी ओमती उड़िया मोहल्ला जबलपुर ने मौजा भरतीपुर नजुल ब्लाक नं./डाय.शीट नं. 93 प्लाट नं. 71/6, 74, 75, 78/4 **रकवा** 600 व.फु. विक्रयपत्र दिनांक क्र. 20/05/2002 के आधार पर क्रेता/खातेदार की मृत्यु दिनांक 06/09/24 को हो जाने के कारण वारसान हक/क्रय उपरांत नाम दर्ज किये जाने का आवेदन पत्र विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र खसरा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। प्रकरण में आवेदक द्वारा संलग्न नजूल संचरण खसरा/डायवर्सन खसरा अनुसार नजूल भरतीपुर ब्लाक नं. 93 प्लाट नं. 71/6, 74, 75, 78/4 रकवा 1731 व.फु रविशंकर शर्मा पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद शर्मा राजकुमारी सिरोहिया पति जगदीश प्रसाद सिरोहिया निवासी छोटी ओमतीव अन्य का नाम सहखाते में दर्ज है। अतः किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से दिनांक 17/08/2026 को इस न्यायालय तहसील रांझी जबलपुर में प्रस्तुत कर सकता हैं। नियम दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्तिकर्ता की आवत्ति पर कोई सुनवाई नही की जावेगी । इश्तहार आज दिनांक 31/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मोहर

जारी दिनांक : 31/07/2026
पेशी दिनांक : 17/08/2026

तहसीलदार रांझी जबलपुर

बाड़ी में लहलहा रहे थे गांजे के पौधे, आरोपी गिरफ्तार

नवभारत, कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र में स्थित बाड़ी में गांजे के पौधे लगाने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की बाड़ी से करीब 30 किलो गांजा के पौधे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि भ्रमण के दौरान पुलिस निवार गांव में अनिल पिता राम राज गोस्वामी की बाड़ी पहुंचकर जांच की। बाड़ी में गांजे के पौधे लगे हुए थे, पुलिस ने लगभन 30 किलो 790 ग्राम गांजे के पौधे जब्त किए हजें। गांजे के पौध

लगाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी अनिल गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से गांजा के संबंध में पूछताछ करने पर गांजा का पेड़ लगाना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उसके खेत बाड़ी में लगे गांजे के पौधे जब्त कर लिए हैं। कार्रवाई में माधवनगर थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव, सहायक उपनिरीक्षक राजेश बागरी, प्रधान आरक्षक अजित सिंह, विनोद विश्वकर्मा, आरक्षक लोकेन्द्र सिंह, मणि सिंह, रोहित सिंह, नवीन शुक्ला की भूमिका रही। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मोर्य और डीएसपी शिवा पाठक के मार्गदर्शन में की गई है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर ऐसे लोगों के संबंध में जानकारी ली जा रही है जो नशे का अवैध कारोबार करते हैं।

नाम परिवर्तन सूचना

पूर्व में मेरा नाम **SHIKHA SHANDILYA** था जो कि मेरे मार्कशीट में भी दर्ज है परन्तु अब मेरा नाम **SHIKHA VISHWAKARMA** हो गया है। जो मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। अतः आज दिनांक से मुझे मेरे इसी नाम से जाना जावे।

पुराना नाम
SHIKHA SHANDILYA
नया नाम -
SHIKHA VISHWAKARMA

पश्चिम मध्य रेल

विद्युत विभाग:कर्षण–वितरण शाखा
ई–निविदा सूचना
एन.आई.टी.नं. जबल–टीआरडी–निविदा–2026–12, दिनांक : 07.08.2026

वरि. मंडल विद्युत इंजीनियर/कर्षण–वितरण/पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर भारत संघ के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित करते है। ठेकेदारों के पास राज्य सरकार द्वारा जारी विद्युतीय लायसेन्स (फर्म के नाम से या फर्म के किसी पार्टनर के नाम से या स्वयं के नाम में यदि सोल प्रोपराइटर हों) आई.ई.नियम 1956 के अनुसार होना चाहिए। **कार्य का नाम** : जबलपुर डिवीजन में 2 साल के लिए पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन रखरखाव गतिविधियों की आउटसोर्सिंग।, **कार्य स्थान** : जबलपुर मण्डल, **कार्य की अवधि** : 24 माह, **कार्य की कीमत (टेंडर वेल्यू)** : रुपये 6,67,39,034.08/– (रुपये छह करोड़ सड़सठ लाख उन्तालीस हजार चौंतीस और आठ पैसे मात्र), **बयाना राशि** : रुपये : 13,34,800.00/–, निविदा जमा करने/खुलने की अंतिम तिथि एवं समय : 31.08.2026 (15:00 बजे)/31.08.2026 (15:30 बजे), **निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेलवे वेब साईट** : https/www.ireps.gov.in, निविदाकर्ता अपनी निविदाएँ आई आर ई पी एस की माध्यम से https://www.ireps.gov.in पर आन लाइन निविदा करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे समय पर बदलाव व शुद्धि पत्रों हेतु IREPS की वेबसाईट https://www.ireps.gov.in देखते रहें न्यूनतम पात्रता मान दण्ड टेण्डर फार्म के अनुसार और ज्वाइन्ट वेन्चर व साझेदारी इस निविदा के लिए लागू होगा। (हस्ता.)

वरि.मं.वि.इंजी./क.वि./जबल
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)
प्रथम निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	लागत राशि एवं समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	Tender ID 2026_UAD_529506_1	संभाग क्रमांक 02 कछपुरा अंतर्गत कमला नेहरू वार्ड अंतर्गत एम.एच.रेसीडेंसी के सामने से वंदन पुर्नवास की ओर सड़क निर्माण कार्य।	03 माह	5000	17/09/2026
	PRO-471 Date-13/08/2026		28.18 लाख	21142	
2.	Tender ID 2026_UAD_529506_2	संभाग क्रमांक 02 कछपुरा अंतर्गत रानी दुर्गावती वार्ड में मां दरबार से परम आटा चक्की मेन रोड तक नाली निर्माण एवं सी.सी.सड़क सीमेन्टीकरण कार्य।	03 माह	2000	02/09/2026
	PRO-471 Date-13/08/2026		7.68 लाख	7684	

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम जबलपुर

सड़क पर मृत पड़ी गायों की लाशें बनीं व्यवस्था के लिए आईना

नवभारत,गाडरवारा। सड़कों पर बेसहारा मृत गायों की लाशें पड़ी-पड़ी सड़ रही हैं और जिम्मेदार व्यवस्था की ओर सवालिया निगाहें उठ रही हैं। एक ओर गौ माता के नाम पर बड़े-बड़े दावे, गौसेवा और गौ रक्षा के नारे लगाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर मृत गौवंश के सम्मानजनक अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था नहीं हो पाना गंभीर चिंता का विषय है। क्या गौसेवा केवल नारों, आयोजनों और दिखावे तक सीमित रह गई है। गौग्रास, गौपालन और गौशालाओं के नाम पर करोड़ों की जमीनों के उपयोग, दान और अनुदान की व्यवस्था के बावजूद यदि सड़कों पर गौवंश की ऐसी दुर्दशा हो रही है तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है। गौपीठाधीश्वर बने संत-महात्माओं से लेकर गौभक्ति का राग अलापने वाले संगठनों और गौसेवा के नाम पर संस्थाएं चलाने वालों तक से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि बेसहारा गौवंश की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। गौकथा सुनाने और सुनने वालों के बीच यदि गौवंश सड़कों पर तड़पता और मरने के बाद सड़ता रहे तो यह समाज और व्यवस्था दोनों के लिए आत्ममंथन का विषय है। गौसेवा के नाम पर मिलने वाले दान, अनुदान और सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ गौवंश तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी पारदर्शी जांच भी जरूरी है। वहीं किसानों पर गौवंश के इलाज के नाम पर मनमानी वसूली के आरोप भी गंभीरता से जांचे जाने चाहिए।

In The Court of XXVII Judge Class-I, District Court, Jabalpur

Presiding Officer : श्वेता खरे
(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/0000126/2026)

अभय कुमार दुबे _____ आवेदक
Vs
बजाज लाइफ इनश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड _____ अनावेदक

Process Id- /2026
पेशी दिनांक 06/10/2026

प्रेषिती–
(1) आम जनता पता- जिला जबलपुर म.प्र.।
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अभय कुमार दुबे पता म.नं. 454, त्रिमूर्ति नगर जबलपुर ने मृतक स्व. कुसुम दुबे निवासी- 454 त्रिमूर्ति नगर दमोहनाका जबलपुर (म.प्र.) की बजाज लाइफ इनश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड चंचलाबाई कॉलेज के पास नेपियर टाउन जबलपुर में राशि संपत्ति/लाइफ, हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक / संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 06 October 2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक / संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 06 October 2026को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 29 July 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

(श्वेता खरे)
सत्ताईसवें व्यवहार न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)
न्यायालय की मुद्रा

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन)
लोक निर्माण विभाग, सम्राट चौक, सिविल लाईंस, सीधी (म.प्र.)
PHONE No. 07822-297539 E-MAIL : piusidhi@gmail.com

एन.आई.टी. नं.-21/2026/केन्द्रीय निविदा आमंत्रण/सी.ई./पी.डब्लू.डी/भवन/1436 रीवा दिनांक 27/07/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है:-

स. क्र.	पोर्टल टेण्डर क्र.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पी.ए.सी.) रू.(लाख में)	अमानत राशि रू.	निविदा प्रपत्र राशि रू.	कार्य पूर्ण करने का समय (माह वर्षाकाल सहित)	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2026_PWPIU _526798_1	जिला सीधी के रामपुर नैकिन मे 06 ट्रेड आई टी आई भवन, 30 सीटर बालक छात्रावास एवं 30 सीटर बालिका छात्रावास भवन 01 नग एफ टाईप, 02 नग एच टाइप एवं 04 नग आई टाइप आवासीय भवन का निर्माण कार्य।	सीधी	1363.02	1000000.00	30000	18 माह	हाँ
2.	2026_PWPIU _526799_1	जिला सीधी के रामपुर नैकिन मे संयुक्त तहसील कार्यालय भवन मय विद्युतीकरण साइट डेवलपमेंट सह जल प्रदाय सेनेटरी फिटिंग का निर्माण कार्य।	सीधी	633.00	633000.00	20000	12 माह	हाँ
3.	2026_PWPIU _526796_1	विभिन्न निर्माणाधीन भवनों में विद्युतीकरण का विस्तार (जोनल टेण्डर) का जिला सीधी में निर्माण कार्य।	सीधी	30.00	50000.00	5000	12 माह	हाँ
4.	2026_PWPIU _526797_1	जिला सीधी के मझौली में 50बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य मय वाटर सप्लाई विद्युत कार्य सहित।	सीधी	886.67	886640.00	20000	12 माह	हाँ

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट बेवसाईट http://mptender.gov.in पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑन-लाईन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑन-लाईन दिनांक 31/07/2026 समय 10:00 से दिनांक 17/08/2025 समय 18:00 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी बेवसाईट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त बेवसाईट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

जी-17071/26 स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सीधी

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को विलयत कर देता है तो सिक्योर एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री मोहन प्रसाद दहिया श्रीमती सरोज दहिया बोलेरो ऑनर और चिकन की दुकान (प्रॉप्सेक्ट नं. आईएल10719632)	खसरा संख्या 424, ग्राम विलायत खुर्द, तहसील बडवारा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश 483773 में स्थित संपत्ति का पूरा हिस्सा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 837	रुपये 555440/- (रु. पांच लाख पचपन हजार चार सौ चालीस मात्र)	09-04-2026	11-08-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 225. नेपियर टाउन, दूसरा माला, चन्द्रिका टॉवर्स के सामने, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- जबलपुर
दिनांक : 14-8-2026
प्रा. अधिकारी
कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड